IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पर्यावरण संरक्षण तथा न्यायिक सक्रियता

हेमलता नाथावत*

ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (लॉ), जोधपुर (राज)

Abstract – पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते स्वरूप को रोकने तथा उसके नियंत्रण के लिए बने कानूनों को कठोरतापूर्वक लागू करवाकर न्यायपालिका ने वर्तमान समय पर धरा तथा उस पर विद्यमान जीवन को संरक्षण प्रदान किया है। न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायालयों ने विधायिका की कमियों को भरते हुए स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण के मानवीय अधिकारों के संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाई है। विश्व के सभी देशों के न्यायपालिका की भांति भारतीय न्यायपालिका ने सक्रिय रूप से पर्यावरण की रक्षा की ओर अपनी भूमिका वहन करते हुए नव पर्यावरण विधि का निर्माण करने की दिशा में विधायिका के साथ–साथ कदम से कदम मिलाया है। जनहित याचिका के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर मुद्दों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कर इसके निवारण में सभी की सहभागिता व कठोर विधायन को लागू करने में आवश्यक कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

मूल शब्द– पर्यावरण संरक्षण न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका, मानवाधिकार, संविधान

पर्यावरण संरक्षण एवं न्यायिक सक्रियता

परिचय – आज पूरा विश्व पर्यावरण प्रदूषण तथा उससे होने वाले दुष्परिणामों से जूझ रहा है। जहाँ इसके निवारण से जुड़े विभिन्न विधान होने के बावजुद उनको कठोरतापूर्वक पालन नहीं हो रहा है या यू कहे कि लालफीताशाही के कारण इसके नियंत्रण पर उदासीनता ने न्यायपालिका को जनकल्याण व अधिकारों की रक्षा के सजग प्रहरी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्तमान जन पीढ़ी के साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण स्वस्थ तथा स्वच्छ बना रहे इसकी जिम्मेदारी निभाने वाले विभिन्न कानूनों की व्याख्या तथा उनकी पूर्णरूपेण अनुपालना हो, इसमें न्यायालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। विशेषकर न्यायिक सक्रियता के माध्यम से भारत सहित पूरे विश्व के न्यायपालिकाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। जहाँ विधायन तथा सरकारी तंत्र पर्यावरण की रक्षा में असफल हो रहे है। वही दूसरी ओर न्यायालय जनहित याचिका के माध्यम से स्वस्थ तथा स्वच्छ पर्यावरण के मानवीय अधिकारों की रक्षा करते हुए विधानों को कठोरतापूर्वक पालना का आदेश दे रहे है। पर्यावरण

संरक्षण तथा उसके अप्रदूषण के निवारण के लिए अधिक प्रभावी रूप से निवारित करने के लिए विशेषज्ञ के रूप में पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित किए है। भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) की स्थापना पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक उत्तरदायित्व का वहन कर रहा है।

पर्यावरण का अर्थ :– पर्यावरण शब्द आंग्ला भाषा के शब्द Environment का हिन्दी रूपान्तरण है, जो कि फ्रेंच भाषा के शब्द Envorion से बना है। जिसका अर्थ है– 'आस–पास'। शाब्दिक रूप से परि + आवरण हैं अर्थात् जो कुछ भी हमारे आस–पास मौजुद है, वह पर्यावरण का ही अंग है। हमारे आस–पास विद्यमान वनस्पति, नदियाँ, तालाब, वायु, जीव–जंतु, प्रकाश, भूमि, प्राकृतिक संसाधन आदि सभी पर्यावरण का निर्माण करते है।

- **ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अनुसार–** ''पर्यावरण भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सौन्दर्यशास्त्रीय तथा सामाजिक परिस्थितियों एवं तत्वों का समुच्चय है, जो अपने द्वारा आवृत्ति सम्पत्ति की वांछनीयता तथा मूल्य को प्रभावित करते है तथा जो जनजीवन के गुणों को भी प्रभावित करते है।''[1]
- **ई. जे. रॉस के अनुसार–** ''पर्यावरण एक ऐसी ब्रह्म शक्ति है जो हमें व्यापक रूप से प्रभावित करती है।''
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2(क) के अनुसार–** ''पर्यावरण में जल, हवा और भूमि तथा मानवीय प्राणी अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु तथा सम्पति में और उनके बीच विद्यमान अर्न्तसम्बन्ध सम्मिलित है।''

इस प्रकार पर्यावरण से अभिप्राय हमारे चारों ओर विद्यमान उस आवरण से है जिससे जीव जगत प्रभावित होता है। जो जीवन का आधार है।

पर्यावरण मानव अधिकार :– एक स्वच्छ, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार वर्तमान समय में एक मानव अधिकार के रूप में विश्व में स्वीकार किया गया है। जो कि अन्य मानवाधिकारों के आनन्दपूर्वक उपभोग से जुड़ा है। इसीलिए 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने धरती पर ''हर किसी को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार'' को मान्यता प्रदान की तथा विश्व के सभी देशों को उनकी पर्यावरण संरक्षण में प्रतिबद्धता को कठोरतापूर्वक लागू करने पर ठोस कदम उठाने को कहा। यदि कोई पर्यावरण को प्रदूषित, अस्वास्थ्यकर करता है तो वह मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हैं अतः उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही कि जानी चाहिए यह सुनिश्चित करना राज्यों का दायित्व है।

वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत् स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है।

लॉ सोसायटी ऑफ इण्डिया बनाम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर[2] के मामले में केरल उच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि– ''स्वच्छ पर्यावरण जीवन जीने के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि मानव स्वास्थ्य एवं क्षेम के लिए यह आवश्यक है।''

इण्डियन कौंसिल फॉर एन्वायरो लीगन एक्शन बनाम यूनियन इण्डिया[3] के मामले में न्यायालय ने विनिश्चित करते हुए कहा कि प्रदूषण चाहे हवा का हो या जल का प्रदूषण है एवं मानवजाति के लिए घातक है। अतः इसके संरक्षण व प्रदूषण निवारण की दिशा में प्रशासन एवं स्वैच्छिक संगठनों के पहल करनी चाहिए।

पर्यावरण दायित्व :– संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण का दायित्व विश्व के प्रत्येक देश का बताते हुए उसके लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। वही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48(ए) के तहत् प्रत्येक राज्य पर दायित्व अधिरोपित करते हुए प्रावधान किया है। इसके अनुसार– ''राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।''[4]

दूसरी ओर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(ए) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य 51(ए) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना दायित्व है उपबंधित किया गया। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे।''[5]

एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[6] मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित करते हुए कहा कि– ''सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा महत्ता तथा जागरूकता फैलाने हेतु देश की शिक्षण संस्थाओं में प्रति सप्ताह एक घंटा पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे।''

किंकरी देवी बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश[7] के बाद में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि– ''पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है। इसलिए यदि कोई खान, उद्योग, सविनिर्माण को बंद करना भी पड़े, तो वह संवैधानिक है।''

पर्यावरण प्रदूषण :– हमारे आसपास विद्यमान वातावरण ही पर्यावरण है। और जब इसमें हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होता है तो वह इसे दूषित करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र तथा मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण के मूलभूत तत्वों में तथा उनके स्तर में मानक से कमी या वृद्धि हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जिसके हानिकारक प्रभाव सामने आते है चाहे वे जीव–जंतु हो, वातावरण हो, मानव स्वास्थ्य हो या पारिस्थितिकी तंत्र।

पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार :– ये विभिन्न प्रकार के होते है–

1. जल प्रदूषण
2. वायु प्रदूषण
3. मृदा प्रदूषण
4. ध्वनि प्रदूषण
5. प्रकाश प्रदूषण
6. रेडियोधर्मी प्रदूषण

पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव :– पर्यावरण प्रदूषण के कई हानिकारक प्रभाव जो कि इस प्रकार पड़ते है।

1. शारीरिक प्रभाव
2. मानसिक प्रभाव
3. तापमान में वृद्धि
4. पेयजल की कमी
5. गैसीय असंतुलन
6. पर्यावरणीय ऋतु चक्र
7. प्राकृतिक धरा को क्षति
8. जलवायु परिवर्तन
9. वन सम्पदा का ह्यास
10. कृषि तथा मछली पालन पर प्रभाव
11. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जीडीपी पर नुकसान

12. पर्यटन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव

13. वन जीव जंतु का लुप्त होना

पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की भागीदारी :– भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के दायरे को बताया गया है और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतन्त्रता ने जीवन की रक्षा, गरीमापूर्वक जीवन निर्वाह के रूप में इसका विस्तार किया। इससे न्यायिक सक्रियता को और बढ़ावा मिला है। पर्यावरण मानवीय जीवन वनस्पति सम्पदा, जीव जंतु के विकास का द्योतक है। अतः इसके संरक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा जनकल्याण ने इसे अनुच्छेद 21 में शामिल कर दिया गया है। और न्यायालयों ने इसके उललंघन पर कठोरपूर्वक कदम उठाये है। इसे सरकारों को जन स्वास्थ्य तथा प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण हेतु सक्रिय कदम उठाने को मजबूर किया है।

लोकहित याचिका (PIL) इस ओर बढ़ती नवीनतम अवधारणा है। जो कि कमजोर वर्ग असक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण का एक उपक्रम बनी है। यह याचिका पीड़ित पक्ष या उसके आधार पर अन्य संगठन को उसके लिए आवाज उठाने में सक्षम बनाता है।

एस. पी. गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[8] एवं **पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोकेटिव राइट्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया**[9] के बाद में उच्चतम न्यायालय ने सद्भावनापूर्वक तथा व्यापक जनहित के मामलों को तथा असमर्थ वर्ग के हितार्थ कि गयी याचिका को जनहित याचिका का आधार माना है।

व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के लेटलतिफी तथा उदासीनता ने पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका सक्रियता को बढ़ा दिया है। पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण संबंधी मामलों को लोकहित वाद के माध्यम से उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है।

ऐतिहासिक निर्णय :–

वेल्लोर सिटी वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ[10] तथा **एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ**[11] के मामलों ने पर्यावरण न्यायशास्त्र को एक महत्वपूर्ण आकार दिया है। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट तथा प्रदूषण तथा सतत् विकास की आवश्यकता पर मिसाल कायम कि जो कि आज भी भारतवर्ष में पर्यावरण संरक्षण विधि को प्रभावित करती है। इससे सरकार व निगमों की जबावदेहिता को और ठोस बनाया है। अवैध खनन, वनों की कटाई और प्रदूषण को रोकने के लिए न्यायालय ने कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित किया कि इससे संबंधित लापरवाह अधिकारियों तथा व्यवसायों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी तथा सुधारात्मक कार्यों को अपनाने की आवश्यकता है। ताकि पर्यावरण नियमों की पालना तथा जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कि जा सके।

एल. के. कूलवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान[12] के मामले में राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पर्यावरण की शुद्धता सफाई एवं स्वास्थ्य का रख–रखाव करना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल माना। और यह नगरपालिका का कर्त्तव्य है कि वह नगर में शुद्धता, सफाई का ध्यान रखे और अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कठोरतापूर्वक करे। धन या जनबल की कमी का हवाला देकर वह अपने कर्त्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ[13] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण संबंधी सूचनाओं को जन–जन तक पहुंचाना राज्य का दायित्व है।

एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[14] के मामले में न्यायालय ने विश्व के आठ अजूबों में से एक ताजमहल भारत का अमूल्य धरोहर है और उसके सौन्दर्य की रक्षा एवं सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है। इसके लिए लगभग 292 कारखानों को बंद करने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया।

अभिलाष टेक्सटाईल्स बनाम राजकोट नगर[15] निगम के मामले में न्यायालय ने कहा कि– ''याचिकाकर्ताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य की कीमत पर लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को शुद्ध किए बिना सार्वजनिक सड़क/नाले में छोड़ा रहा था, जिससे आमजन के स्वास्थ्य को क्षति पहुंच रही थी।''

एम. के. रंजीत सिंह बनाम भारत संघ[16] वाद में पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगवाई वाली खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ[17] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि गंगा नदी के जल में सर्व साधारण का हित निहित है। और यदि वह दूषित हो तो यह जन के स्वास्थ्य को क्षति पहुँचाता हैं तो लोकहित वाद द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

जम्मू कश्मीर कौंसिल बनाम स्टेट[18] में ''प्रदूषण–मुक्त जल के उपयोग करने का अधिकार लोकहित का विषय है बताया गया।''

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ[19] के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धुँआ युक्त वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाते हुए सी.एन.जी. वाहनों की व्यवस्था दी।

इण्डियन काउंसिल फॉर एनवायरो–लीगल एक्शन बनाम भारत संघ[20] तथा **अशोक कुमार सिन्हा बनाम भारत संघ**[21] के मामले पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष एवं सुझाव :– पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सर्व दायित्व है। जहाँ विधायिका एवं कार्यपालिका कानूनों का निर्माण व उन्हें लागू करने का कार्य करते हुए पर्यावरण की रक्षा का अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रही है, वही न्यायालय सजग प्रहरी के रूप में उदासीनता को दूर कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा रहा है। वही हम आमजन को भी इनका साथ देना होगा। क्योंकि जो भी प्रयास हो रहे है वे हम सब के स्वास्थ्य तथा आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ वातावरण देने के लिए ही हो रहे है। अपने थोड़े से लाभ के लिए सम्पूर्ण धरा को क्षति पहुंचाना उचित नहीं है। बल्कि सर्वलाभ की धारणा को साक्षात् धरातल पर जीवित करना होगा। चाहे बात स्वच्छ जल की हो या वायु या धरा, की बात चाहे बढ़ते ध्वनि प्रदूषण की या बढ़ते रेडियाधर्मी किरणों का प्रभाव सभी को सामूहिक प्रयास करके ही कमी ला सकते है।

न्यायालय ने हालांकि अपने आदेशों के माध्यम से इसके लिए ठोस कदम व उपाय बताये, परंतु हमें भी स्वप्रेरणा से आगे बढ़कर अपनी सहभागिता दर्शित करनी होगी। वृक्षारोपण, ईधन की खपत में कमी, ऊर्जा संरक्षण जल को दूषित होने से बचाव मिट्टी की उर्वरकता को प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ाना, धुआं गैस रिसाव को कम करना सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना आदि प्रयास कर हम अपने धरा को प्राचीन प्रदूषण मुक्त बना सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, सातवां संस्करण 1999।
2. ए. आई. आर. 1994 केरल 308।
3. ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1441।
4. अनुच्छेद–48(ए) – भारतीय संविधान 42वें संशोधन 1976 द्वारा अंतःस्थापित।
5. अनुच्छेद–51(ए) (छ) अध्याय 4 (क) भारतीय संविधान, 42वें संशोधन 1976 द्वारा अंतःस्थापित।
6. एस.सी.सी. 47 (1988)।
7. ए.आई.आर. 1988, हिमाचल प्रदेश 4।
8. ए.आई.आर., 1982 एस.सी. 803।
9. ए.आई.आर., 1980 ए.सी. 1579।
10. (1996) 5 एसीसी 647।
11. ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 1086।
12. ए. आई. आर. 1988 राजस्थान 2।
13. ए. आई. आर. 1992 382।
14. ए. आई. आर. 1997 एसी 734।
15. (1987) 2 जी एल आर 1325।
16. (2024) 3 एस. सी. आर. 1320।
17. ए. आई. आर. 1988 एससी, 1115।
18. ए. आई. आर. 2003 एन. ओ. सी. 256 जम्मू कश्मीर।
19. ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 1948।
20. (1996) एप्ली (1) एस. सी. आर. 507।
21. (2008) 6 एस. सी. सी. 138।
22. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986।
23. भारतीय संविधान 1950 जयनारायण पाण्डेय।
24. जल अधिनियम (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1974।
25. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
26. https://lawbhoomi.com/role-of-judiciary-in-environment-protection.
27. https://greentribunal-gov.in./sites.
28. https://ecoyojana.wordpress.com.